झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन –128/2017 881/ दिनांक 02/07/2024

झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम–2001 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2001), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम–2002 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2002), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम–2005 (झारखण्ड अधिनियम 09, 2006), झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम–2006, झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम–2008 (झारखण्ड अधिनियम संख्या 10, 2008) सहपठित झारखण्ड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम–2011 (झारखण्ड अधिनियम संख्या 17, 2011) की नियमावली 18 एवं झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 के नियम–23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

(i) यह नियमावली झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2024 कहलायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगी।

(iv) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरूद्ध न हो,

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001"

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान मंडल का सदस्य।

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2. **सदस्यों का वेतन –**

प्रत्येक सदस्य रु० 60,000/– (साठ हजार) मात्र प्रति माह की दर से वेतन, जो उसे उस दिन से प्राप्त होगा, जिस दिन यह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाए, अथवा विधान सभा/मंडल में स्थान भरने के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य की दशा में उस तिथि से प्राप्त होगा, जिस तिथि को उसे मनोनीत किया जाए, अथवा यदि ऐसी घोषणा या जो गनोनयन रिक्ति होने की तिथि से पूर्व किया गया हो, तो रिक्ति होने की तिथि से पाने का हकदार होगा।

परन्तु वेतन की अदायगी तब तक नहीं की जोयगी जब तक कि कोई सदस्य शपथ–ग्रहण न कर ले या भारतीय संविधान के अनुच्छेद–188 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर न कर दें।

किन्तु यह कि आम चुनाव के बाद गठित नई विधान–मंडल के किसी सदस्य की दशा में वेतन का भुगतान केवल उस तारीख से किया जायेगा, जिस तारीख को सभा की प्रथम बैठक नियत की गई है।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य को भुगतेय वेतन अनुपस्थिति करने के लिए ऐसी कटौतियों का देयी होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में उपबंधित किया जाय।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और ऐसी सरकार निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या किसी व्यक्ति से वेतन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता हो, तो–

(क) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि के समान या उससे अधिक हो, जिसका वह इस नियमावली के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(ख) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि से न्यून हो जिसका वह इस नियमावली के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन वेतन की उस राशि का हकदार होगा, जो वेतन की उस राशि से कम है जिसका वह इस नियमावली के अधीन अन्यथा हकदार है।

3. **सवारी भत्ता –**

प्रत्येक सदस्य को रु० 5,000/– (पांच हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता दिया जायेगा, जिस तारीख को यह शपथ ग्रहण करे, या नियम–2 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करे।

4. **क्षेत्रीय भत्ता –**

प्रत्येक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रतिमाह रु० 80,000/– (अस्सी हजार) मात्र क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. **सत्कार भत्ता–**

प्रत्येक सदस्य को सत्कार भत्ता के रुप में रु० 40,000/– (चालीस हजार) मात्र प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

6. **मोटरगाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा –**

झारखण्ड विधान–मंडल के किसी सदस्य की मांग पर मोटरगाडी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि अथवा अधिकतम रु० 20,00,000/– (बीस लाख), जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अवधारित नियमावली में निहित शर्तों के अधीन ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो सीधे गाड़ी के कम्पनी/डीलर को भुगतेय होगा। भुगतेय ऋण राशि पर 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक ब्याज दर भुगतेय होगा।

(i) झारखण्ड विधान–मंडल के सदस्य राशि रु० 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक मोटरगाड़ी क्रय कर सकेंगे।

7. पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय की सुविधा–

विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य के रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए रु० 10,000/– (दस हजार) मात्र प्रतिमाह भुगतेय होगा।

8. सदस्यों का दैनिक भत्ता –

सदस्य शपथ–ग्रहण करने की तिथि से रु० 3,000/– (तीन हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु० 4,000/– (चार हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के बाहर दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण – i) सदस्य सत्र प्रारम्भ की तिथि से एक दिन पूर्व एवं सत्र समाप्ति के एक दिन बाद तक दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ii) सदस्य को विधान सभा समिति की पहली बैठक से लगातार बैठक में उपस्थित रहने पर सभी दिनों का दैनिक भत्ता देय होगा।

iii) सदस्य को विधान सभा समिति की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित होने पर बीच की अवधि का दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

8 (i) सदस्यों के यात्रा भत्ता से संबंधित प्रावधानः–

(क) प्रत्येक सदस्य, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उप चुनाव अथवा मनोनयन की दशा में, यथास्थिति विधान मंडल के अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त, रेल यात्रा की दशा में, ए०सी० प्रथम श्रेणी की किराये तथा निजी कार में यात्रा की दशा में, प्रति किलोमीटर रु० 24/– (चौबीस) मात्र मील भत्ता पाने का हकदार होगा;

(ख) प्रत्येक सदस्य, यथास्थिति विधान मंडल का अधिवेशन या विधान मंडल की समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में भाग लेने के निमित्त अपने सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहां विधान मंडल का अधिवेशन अथवा विधान मंडल की समिति की बैठक या अन्य कार्य किया जानेवाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए केवल निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगाः–

(i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए ए०सी० प्रथम श्रेणी के किराये की दर से आनुषांगिक खर्च;

(ii) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च;

(iii) प्राईवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की राशि का भुगतान;

(iv) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए रु० 24/– (चौबीस) मात्र प्रति किलोमीटर की दर से 'मील–भत्ता' देय होगा।

(v) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च;

परन्तु, जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता है तथा नदी के पार जाना हो तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल–परिवहन खर्च पा सकेगा:

परन्तु, सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए मील भत्ता, प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदन की बैठक में भाग लेने के लिए एक दिन पहले और सत्र समाप्ति के एक दिन बाद अपने निवास स्थान वापसी के लिए, सिर्फ एक बार भुगतेय होगा:

परन्तु, और कि इस रकम का भुगतान उसी अवस्था में किया जायेगा जब सदस्य के पास निजी मोटर कार हो तथा वे इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त यात्रा अपनी मोटर कार से की है:

परन्तु, और भी कि यदि कोई सदस्य विधान मंडल की समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजनार्थ निजी कार से यात्रा करे तो वह 24/– (चौबीस) रूपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता पाने का हकदार होगा **[किन्तु यह समिति की बैठक की समाप्ति के तत्काल बाद की गयी यात्रा अवधि के लिए ही अनुमान्य होगा और एक माह में ऐसी सिर्फ दो यात्राएँ ही अनुमान्य होंगी।]** मील भत्ता उसी सदस्य को भुगतेय होगा जो इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है। ऐसे सदस्य को, जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक माह में मात्र दो बार रेल की यात्राओं के लिए ए०सी० प्रथम श्रेणी का ड्योढ़ा रेल भाड़ा भुगतेय होगा:

परन्तु, और आगे कि राज्य के बाहर, रेल मार्ग से जुड़े स्थानों से भिन्न, किसी अन्य स्थान के लिए की गई यात्रा हेतु प्रति किलोमीटर 24/– (चौबीस) रूपये की दर से मील भत्ता भुगतेय होगा:

परन्तु, यह और आगे भी वैसे सदस्य को यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, जो साधारणतः उस स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर रहते हो, विधान मंडल का अधिवेशन या विधान मंडल की समिति की बैठक हुई हो या सदस्य के रूप में उनके कर्त्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य किया गया है।

(ग) यदि विधान मंडल का अधिवेशन या विधान मंडल की समिति की बैठक आकस्मिक स्थिति में स्थगित कर दी गयी हो तथा संबंधित सदस्यों द्वारा अपने निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ विधान मंडल अथवा विधान मंडल समिति की बैठक या अन्य कार्य किया जाने वाला हो, उनके द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए भी खण्ड–'ख' में अंकित यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(घ) विधान मंडल की समिति के सदस्य के रूप में राज्य के अन्दर अथवा बाहर के स्थल अध्ययन हेतु अपने निवास स्थान से समिति की बैठक के स्थान तक एवं निवास स्थान की वापसी की यात्रा के लिए भी खण्ड–'ख' में अंकित यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण – i) राज्य के अंदर/बाहर स्थल अध्ययन यात्रा मुख्यालय से आरम्भ एवं अन्त होगी।

ii) स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान अन्य समिति की बैठक में उपस्थित होने पर सिर्फ दैनिक भत्ता देय होगा।

iii) राज्य के बाहर/अंदर स्थल अध्ययन/सत्र एवं समिति की बैठक के लिए की गई यात्रा की तिथि को कूपन (ईंधन) की सुविधा देय नहीं होगी।

iv) समिति की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित होने की स्थिति में भी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा। इस संदर्भ में सदस्य इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त यात्रा की है।

(ड़) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अथवा अंशतः सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा–भत्ता सबसे सस्ते और निकटतम मार्ग के यात्रा–भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।

(च) यदि अधिवेशन लगातार अवधि में हो, और किसी सदस्य ने 15 दिनों तक अधिवेशन में भाग लिया हो, तो वह सरकारी खर्च पर एक बार घर लौटने के लिए अधिवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान पर जाने और अपने निवास स्थान से अधिवेशन के स्थल तक वापस आने के लिए निम्नलिखित दर से यात्रा–भत्ता पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि उक्त यात्राएँ वस्तुतः की गई हों और सदस्य द्वारा उसी अधिवेशन में पुनः भाग लिया गया हो :–

(i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए ए०सी० प्रथम श्रेणी के किराये की दर से आनुषांगिक खर्च;

(ii) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च;

(iii) प्राईवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की राशि का भुगतान और

(iv) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 24/– (चौबीस) रूपये प्रति किलोमीटर की दर से मील–भत्ताः

(v) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्चः

परन्तु, यह भी कि जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता हो तथा नदी के पार जाना हो, तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल–परिवहन खर्च पा सकेगाः

परन्तु, सदस्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है।

(ड.) यात्रा–भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद भुगतेय होगा और इसके लिए सदस्य विहित प्रपत्र में दावा करेंगे जो सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सचिव ऐसे विपत्रों पर, इस बात का अपना पूरा समाधान कर लेने के बाद प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे कि सदस्य ने रेल या सड़क यात्रा में निकटतम मार्ग से लोक–हित में और सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अधिवेशन में या किसी कार्य में भाग लेने के लिए यात्रा की है। सचिव का यह दायित्व होगा कि सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्रों के संबंध में अपना समाधान कर लें।

9. **रेल, हवाई तथा पथ परिवहन सेवा –**

झारखण्ड विधान–मंडल के प्रत्येक सदस्य को रु० 4,00,000/– (चार लाख) के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिससे रेल, हवाई यात्रा, डीजल/ पेट्रोल का समायोजन किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – वर्ष से अभिप्रेत है 1 जून से आरम्भ होने वाली और 31 मई को समाप्त होने वाली कालावधि।

(i) प्रत्येक सदस्य और उसके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री, यदि कोई हो, को अहस्तांतरणीय पास उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के सिवाय निगम के किसी मार्ग पर चलने वाली झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम की किसी बस से यात्रा करने के हकदार होंगे।

(ii) प्रत्येक सदस्य अपने साथ अपनी यात्रा के दौरान झारखण्ड राज्य के भीतर या बाहर किसी सहयात्री को अपने साथ ले जाने का हकदार होगा।

(iii) प्रत्येक माननीय सदस्य हवाई यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे, इसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरूद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा।

10. कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) का प्रावधान–

प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) की सुविधा देय होगी जिसका मूल्य अधिकतम रु० 1,00,000/– (एक लाख) मात्र की सीमा के अन्तर्गत होगा। सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) विधान–मंडल को वापस कर देना होगा या खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जायेगा।

11. निजी सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/चालक/ अनुसेवक का प्रावधान–

(i) प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि पर्यन्त रु० 50,000/– (पचास हजार) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त वेतन पर एक निजी सहायक की सुविधा अनुमान्य होगी। निजी सहायक को टंकन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान आवश्यक होगा।

(ii) प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि पर्यन्त रु० 35,000/– (पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त वेतन पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुमान्य होगा।

(iii) प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि पर्यन्त रु० 30,000/– (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त वेतन पर एक चालक अनुमान्य होगा।

(iv) प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि पर्यन्त रु० 30,000/– (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त वेतन पर एक अनुसेवक अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण – (i) विधान सभा सचिवालय द्वारा माननीय सदस्यों के निजी स्थापना में नियुक्त होने वाले सभी कर्मियों के संबंध में परिवाद/चारित्रिक स्वच्छता प्रमाणपत्र, विशेष शाखा, झारखण्ड से प्राप्त किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति की जायेगी। विशेष शाखा, झारखण्ड द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर उक्त अनुशंसित व्यक्ति, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। विशेष शाखा, झारखण्ड द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टिप्पणी से माननीय सदस्य को सभा सचिवालय द्वारा अवगत कराते हुए अन्य व्यक्ति की अनुशंसा हेतु अनुरोध किया जायेगा।

(ii) माननीय सदस्य को अनुमान्य निजी कर्मियों को प्राप्त होने वाले एकमुश्त वेतन का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खाते में विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

12. चिकित्सा सुविधा –

झारखण्ड विधान–मंडल के सदस्यों को चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा परिचर्या एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उन नियमों के अधीन प्राप्त होगा जो राज्य सरकार का स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड समय–समय पर अवधारित करे।

13. दूरभाष/मोबाईल का प्रावधान –

प्रत्येक सदस्य को वर्ष में अधिकतम रु० 1,00,000/– (एक लाख) दूरभाष/मोबाईल मद में विपत्र के विरूद्ध भुगतेय होगा, जिसमें से रु० 60,000/– (साठ हजार) मात्र मोबाईल हेतु रु० 5,000/– (पाँच हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से वेतन में जोड़ा जायेगा तथा शेष रु० 40,000/–(चालीस हजार) लैंडलाईन, इंटरनेट तथा फैक्स मद की राशि को विपत्र के विरुद्ध विधानसभा द्वारा देय होगा।

14. उपस्कर एवं आवारा सुराज्जन –

विधान मंडल के सदस्य को एक टर्म के लिए रु० 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र तथा इसके रख–रखाव के लिए प्रतिवर्ष रु० 20,000/– (बीस हजार) मात्र देय होगा।

15. समाचार पत्र–पत्रिका की सुविधा –

प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह रु० 3,000/– (तीन हजार) मात्र पत्र–पत्रिकाओं के लिए अनुमान्य होगा।

16. आवास सुविधा–

राज्य सरकार के नियमानुसार तथा माननीय सदस्यों की वरीयता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर आवास आवंटित किया जायेगा।

(क) आवंटित आवास के विद्युत विपत्र का भुगतान वित्तीय सीमाओं के अधीन किया जायेगा जो राज्य सरकार, नियमों द्वारा अवधारित करे।

17. आयकर–

प्रत्येक सदस्य को देय वेतन एवं भत्ता पर भुगतेय आयकर की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

18. दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में कमरे की सुविधा–

प्रत्येक सदस्य को उनकी अधियाचना पर झारखण्ड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायती दर रु० 100/– प्रति कमरा प्रति चौबीस घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। कमरा रिक्त नहीं रहने की स्थिति में झारखण्ड भवन, नई दिल्ली द्वारा अन्य स्थानों में उसी दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

19. गृह–ऋण की सुविधा–

प्रत्येक सदस्य को अधिकतम रु० 60,00,000/– (साठ लाख) मात्र का गृह ऋण 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक ब्याज की दर पर अनुमान्य होगा।

20. झारखण्ड विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सुविधायें निम्नवत् देय होंगी–

(i) पेंशन – रु० 50,000/– (पचास हजार) प्रतिमाह
(ii) पेंशन में वार्षिक वृद्धि – रु० 5,000/– (पांच हजार)
(अधिकतम रु० 2,00,000/– तक)

(iii) **पारिवारिक पेंशन** –

पारिवारिक पेंशन, पेंशन की राशि का 75% देय होगा। पूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वयस्क होने तक 75% देय होगा।

स्पष्टीकरण – 'आश्रित' एवं 'वयस्क' की परिभाषा राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप होगी।

(iv) **रेल, हवाई तथा पथ परिवहन रोवा** –

झारखण्ड विधान–मंडल के पूर्व सदस्य को रु० 4,00,000/– (चार लाख) के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिससे रेल, हवाई यात्रा, डीजल/पेट्रोल का समायोजन किया जायेगा।

(a) प्रत्येक पूर्व सदस्य, हवाई यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे, इसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरूद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा।

(V) **चिकित्सीय भत्ता** –

झारखण्ड विधान–मंडल के पूर्व सदस्यों को चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा परिचर्या एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उन नियमों के अधीन प्राप्त होगा जो राज्य सरकार का स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड समय–समय पर अवधारित करे।

(Vi) **पेंशन की राशि का हस्तांतरण** :–

माननीय पूर्व सदस्य की पत्नी/पति को मिलने वाले पेंशन की राशि कोषागार से सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

(Vii) **दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में कमरे की सुविधा–**

प्रत्येक पूर्व सदस्य को उनकी अधियाचना पर झारखण्ड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायती दर रु० 100/–(एक सौ) प्रति कमरा प्रति चौबीस घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। कमरा रिक्त नहीं रहने की स्थिति में झारखण्ड भवन, नई दिल्ली द्वारा अन्य स्थानों में उसी दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(Viii) **निजी परिसहाय की सुविधा–**

(i) प्रत्येक पूर्व सदस्य को प्रतिमाह रु० 15,000/– (पंद्रह हजार) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त वेतन पर एक निजी परिसहाय अनुमान्य होगा।

(ii) माननीय पूर्व सदस्य द्वारा निजी परिसहाय की नियुक्ति से संबंधित अनुशंसा प्राप्त होने पर सभा सचिवालय द्वारा उसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जो विधान मंडल के सदस्य के निजी स्थापना के कर्मियों की नियुक्ति हेतु निर्धारित है।

21. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

22. **व्याख्या एवं संशोधन**– इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2.7.24

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/वे०भ० संशोधन –128/2017 881 / रांची, दिनांक-2/7/2024।

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय सभी सदस्यगण/ सभी पूर्व सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/वे०भ० संशोधन –128/2017 881 / रांची, दिनांक-2/7/2024।

प्रतिलिपिः प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/वे०भ० संशोधन –128/2017 881 / रांची, दिनांक–2/7/2024।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखंड को संकल्प की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।